

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।


19 रायपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री श्री उमेश शमा कारु निवासी 272, अशोक विहार, अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड जो भारतीय जनता (रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान— बहुउद्देशिय क्रिडा भवन, रायपुर स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून
दिनांक— 10.03.2022, समय— 15:36:08


रिटर्निंग आफिसर,
19-रायपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
(उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून)

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **19-Raipur** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

UMESH SHARMA KAU

272 ashok vihar, ajabpur kalan dehradun, uttrakhand [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Multipurpose Sports Hall, Raipur Sports College, Dehradun*

Date : 10-03-2022

M. K.
10/3/22
(Manish Kumar)
Returning Officer

019-Raipur
Legislative Assembly Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर
19-रायपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
(उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून)